

अति—आवश्यक  
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित / डीपीसी / 2009 / २२५०

दिनांक १३.९.०९

परिपत्र

निदेशालय की अनौपचारिक टिप्पणी क्रमांक: राजपत्रित / डीपीसी / 2009 / 2244  
दिनांक 11.09.09 द्वारा एक वर्षीय शार्ट टर्म स्कील अपग्रेडेशन कोर्स हेतु दिनांक 20.09.09 को  
काउन्सलिंग आयोजित की गयी थी, को अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक के लिये  
स्थगित किया जाता है।

निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित / डीपीसी / 2009 / २२५०

दिनांक १३.९.०९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, एस. एस. मेडीकल कॉलेज, जयपुर।
6. अति. निदेशक (एच.आर.), आर.एच.एस.डी.पी., जयपुर।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को भेजकर लेख है, कि उक्त सूचना सभी  
समाचार पत्र व टी. वी. चैनल के माध्यम से प्रसारित कराने की व्यवस्था करावे।
8. प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम, निक, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि उक्त सूचना  
विभाग की बैबसाईट पर डाउनलोड कर सभी सम्बन्धित को अवगत करावे।

निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर

अति—आवश्यक  
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित / डीपीसी / 2009 / २२१

दिनांक १५. ९. ०९

परिपत्र

निदेशालय की अनौपचारिक टिप्पणी क्रमांक: राजपत्रित / डीपीसी / 2009 / 2244 दिनांक 11.09.09 द्वारा एक वर्षीय शार्ट टर्म स्कील अपग्रेडेशन कोर्स हेतु दिनांक 20.09.09 को काउन्सलिंग आयोजित की गयी थी, को अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक के लिये स्थगित किया जा चुका है, इसी क्रम से लेख है, कि इस कोर्स हेतु निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाले चिकित्सक दिनांक 30.09.2009 तक स्वयं उपस्थित होकर नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

जिन चिकित्सकों ने पूर्व में आवेदन किया है या नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, को निर्देशित किया जाता है कि वे ग्रामीण सेवाओं का प्रमाण—पत्र दिनांक 30.09.09 तक निदेशालय में प्रस्तुत करें।

अति. निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित / डीपीसी / 2009 / २२१

दिनांक १५. ९. ०९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, ई.एस.आई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त प्रधानाचार्य, मेडीकल कॉलेज।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
9. प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम, निक, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि उक्त सूचना विभाग की बैबसाईट पर डाउनलोड कर सभी सम्बन्धित को अवगत करावे।



अति. निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर